राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक F27( )RDD-5/PMAY-G/PRAGARTI/2024-25-07898 जयपुर दिनांक 16 अगस्त, 2024

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/IAY/CMBPL आवास योजना के अंतर्गत अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद समस्त के साथ दिनांक 14.08.2024 को सांय 4.00 से 6.00 बजे तक (NIC के माध्यम से) समिति कक्ष, उत्तर–पश्चिम भवन, ग्रामीण विकास विभाग से वीसी बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभागीय वेबबेस्ड एप्लिकेशन (मॉड्यूल) का ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया जा कर बैठक के दौरान ही FAQ संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। उक्त एप्लिकेशन के माध्यम से लाभार्थीवार /प्रकरणवार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/IAY/CMBPL आवास के विवादित आवासों को उक्त मॉड्यूल पर दर्ज सी श्रेणी के आवासों को write-off कराने हेतु ग्राम सभा के प्रस्ताव के क्रम में पंचायत समिति की टिप्पणी उपरान्त जिला अपीलेट कमेटी के निर्णय /कार्यवाही विवरण अपलोड करने का प्रावधान है।

उक्त मॉड्यूल पर जिलो द्वारा अब तक अपलोड प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की गई। उक्त योजनाओं के अंतर्गत विवादित/बन्द पडे अधिकांश आवासों को जिलो द्वारा श्रेणी "A" पूर्ण होने योग्य आवासों की श्रेणी में प्रदर्शित/अपलोड किया है, जिन्हे आगामी 1 माह में आवश्यक रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करावे।

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/IAY/CMBPL आवास योजना अंन्तर्गत निम्न निर्देश प्रदान किये गये:–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/IAY/CMBPL आवास के विवादित आवासों को विभागीय ऑनलाईन मॉड्यूल पर दर्ज किया जाये। मॉड्यूल पर दर्ज सी श्रेणी के आवासों को write-off करना एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव अपलोड करते हुए, प्रत्येक प्रकरण की पृथक–पृथक पत्रावलियों का पंचायत समिति स्तर पर संधारण किया जावे।
2. श्रेणी "A" पूर्ण होने योग्य आवासों की श्रेणी में प्रदर्शित/अपलोड आवासों को 1 माह में पूर्ण कराने हेतु संबंधित आवास प्रभारी जिला परिषद का उत्तरदायित्व होगा अन्यथा की स्थिति में संबंधित आवास प्रभारी जिला परिषद के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
3. श्रेणी "B" राशि वसूली के प्रकरणों में राशि वसूल की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
4. श्रेणी "C" के आवासों के प्रकरणवार पत्रावलियों का पंचायत समिति स्तर पर संधारित कराकर जिला अपीलेट कमेटी के समक्ष निर्णायार्थ प्रस्तुत करावे। इस क्रम में समस्त कार्यवाही आगामी 15 दिवस मे पूर्ण कराना सुनिश्चित करावे।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से Reject by system द्वारा हटाये गये 1.55 लाख पात्र परिवारों के पुनः सत्यापन की कार्यवाही की जावे।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष रहे 8.67 लाख पात्र परिवारों का पुनः सत्यापन कर आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण की कार्यवाही की जावे।
7. विभागीय स्तर पर तैयार online application पर उपलब्ध Land Less के विकल्प पर भूमिहीन लाभार्थियों की प्रविष्टि दर्ज की जावे, साथ ही भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता से भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।
8. योजनान्तर्गत विशेष योग्यजन को प्राथमिकता से 5% आरक्षण का लाभ दिये जाने हेतु विशेष योग्यजन की वरीयता सूची को अद्यतन कर राज्य स्तर पर प्रेषित करे, जिससें विशेष योग्यजन की आवास साफ्ट पर वरीयता सूची में आवश्यक प्रावधान बावत प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा सके।
9. जिलों के पास CMBPL योजना अन्तर्गत उपलब्ध राशि की वित्त विभाग द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में 7 दिवस में प्रेषित करे।
10. योजना के कियान्वयन फ्रेमवर्क अनुसार जिला एवं पंचायत समिति स्तरीय मॉनिटरिंग सेल की आवश्यकता के कम में विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करावे।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रा.वि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविवि।
3. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद समस्त।
6. प्रोग्रामर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।